

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 10 अगस्त, 2021

विषय: उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता हेतु नई योजना संचालित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विदित है कि उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य के शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त मेधावी छात्र-छात्राएं सम्यक् तैयारी एवं सुविधाओं के अभाव में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वे बेहतर भविष्य से वंचित हो जाते हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्य के मेधावी छात्रों के बेहतर भविष्य हेतु शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के मेधावी छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को मुख्य परीक्षाओं/एस0एस0बी0 आदि द्वितीय चरण की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग आदि के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में ₹50,000/- (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. योजना के लाभ हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता-

- राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 100 अभ्यर्थी।
- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्म्ड फोर्स के लिए आयोजित लिखित परीक्षा यथा NDA, CDS, OTA, Indian Naval Academy, Indian Air Force Academy etc उत्तीर्ण करने वाले समस्त अभ्यर्थी।
- योजना का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने राज्य के शिक्षण संस्थानों से संगत सेवा के निमित्त निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के स्तर की शिक्षा ग्रहण की है।

iv). उक्त योजना का लाभ लिए जाने हेतु इस शासनादेश के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन किया जाना होगा।

2. योजना के दिशा-निर्देश:-

- i). उक्त योजना का लाभ उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासी ऐसे छात्र-छात्राएं, जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, द्वारा लिया जा सकता है।
- ii). अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹5.00 लाख से अधिक न हो। अभ्यर्थी को परिवार की वार्षिक आय का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- iii). ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं किसी नौकरी/व्यवसाय/वृत्ति में हों अथवा उनकी पत्नी/पति किसी नौकरी/व्यवसाय में रत हों, योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
- iv). ऐसे अभ्यर्थी, जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ ले रहे हों या ले चुके हों, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- v). अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पूर्व में लाभ नहीं लिया गया है अथवा वर्तमान में लिया जा रहा है।
- ✓vi). अभ्यर्थी को प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 01 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर समस्त वांछित अभिलेखों सहित निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल में जमा करना होगा।
- ✓vii). निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ✓viii). यह योजना 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर संचालित की जाएगी।
- ✓ix). इस योजना का लाभ अभ्यर्थी द्वारा मात्र 01 बार ही लिया जा सकेगा।
- x). योजनान्तर्गत अभ्यर्थी को समस्त शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त अर्ह पाए जाने पर एकमुश्त ₹50,000/- की धनराशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। योजना के लाभ हेतु अभ्यर्थियों का चयन परिशिष्ट-1 में उल्लिखित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का चयन अन्तिम माना जाएगा। इसके विरुद्ध कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- xi). ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कक्षाओं/कोचिंग में प्रतिभाग किया हो, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- xii). प्रस्तावित योजना राज्य में अवस्थित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु प्रारम्भ की जा रही है, जो 'पहले आओ पहले पाओ' की तर्ज पर लागू होगी, अभ्यर्थी को योजना का लाभ लेने हेतु दावा विभाग पर बाध्यकारी नहीं होगा।

xiii). उक्त योजना का लाभ प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के वर्ष (सत्र) पर ही लिया जा सकेगा, किसी भी दशा में पूर्व में दी गई परीक्षा हेतु प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं की जाएगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-22-संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता-42-अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 46(MO)/XXVII(3)2021, दिनांक: 06 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या: — /XXIV-C-2 / 2021 / 17(02)2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 1-महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7-समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 8-निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनु0-3 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10-संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 11- अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

"राज्य के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना में लाभार्थियों के चयन हेतु गठित समिति"

क्र०सं०	पदाधिकारियों के नाम/पदनाम	समिति में पदनाम	सदस्यता
1.	अपर सचिव, उच्च शिक्षा	अध्यक्ष	पदेन
2.	निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य	पदेन
3.	वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा	सदस्य	पदेन
4.	संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य	पदेन
5.	राज्य विश्वविद्यालयों में से 02 सदस्य	विशेष आमंत्रित सदस्य	नामांकन
6.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित	सदस्य	नामांकन


(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

